गुरमेल सिंह बनाम गुरतेज सिंह आदि
अन्तर्गत धारा 212 आरटीए नम्बर 107 सन् 2023
जी.सी.एम.एस. नम्बर 2023/440

| तामिल हुक्म | हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज | नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए |
|---|---|---|
| 05.05.2025 | अधिवक्तागण उपस्थित। उभयपक्ष अधिवक्तागण के द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आरटीए पर की गई बहस पर मनन किया गया व पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रार्थी अधिवक्ता के द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आरटीए में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए अर्ज किया कि चक 21 ओ की जमाबन्दी सम्वत 2076 ता 2079 के खाता संख्या 50/44 के मुरब्बा नम्बर 7, 8, 14 की कुल 13.665 हैक्टेयर भूमि व चक 24 ओ की जमाबन्दी सम्वत 2074 ता 2077 के खाता संख्या 78/79 के मुरब्बा नम्बर 54, 66, 68 की कुल 8.791 हैक्टेयर भूमि, खाता संख्या 119/120 के मुरब्बा नम्बर 34; 35, 31 की कुल 13.231 हैक्टेयर भूमि, में से गुरमेल सिंह व गुरतेज सिंह के नाम दर्ज 3.034 हैक्टेयर भूमि की मौका व राजस्व रिकॉर्ड की यथास्थिति मूलवाद के निर्णय तक स्थायी किए जाने बाबत निवेदन किया। अप्रार्थी अधिवक्ता के द्वारा जवाब प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि प्रार्थी व अप्रार्थी संख्या 1 के मध्य वादगत भूमि का दिनांक 16.04.2022 को लिखित बंटवारानामा नहीं हुआ है! यदि बंटवारानामा हुआ होता तो खाता संख्या 50 के सभी खातेदारान के हस्ताक्षर होते, चूकिं मुश्तर्का खाता में प्रत्येक इंच पर, प्रत्येक सहखातेदारान का कब्जा कानूनन माना जाता है। अपंजीकृत, अमान्य, अस्तित्वहीन, विधि विरूद्व तथा नुमाईशी बंटवारा की रूह से प्रार्थी को वाद कारण हासिल नहीं है। इसलिए प्रार्थी किसी भी प्रकार का स्थगन प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है। प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आरटीए खारिज फरमाया जावे। लिहाजा अप्रार्थी संख्या 1 गुरतेज सिंह मुश्तर्का खाता की भूमि में से अपने हिस्से मुताबिक अभिलिखित खातेदार है। अभिलिखित खातेदार के विरूद्व स्थगन आदेश जारी किया जाता है। तो अप्रार्थी को अपूरणीय क्षति कारित होगी। अतः पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात के आधार पर तीनों बिन्दू यथा प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का संतुलन एंव अपूरणीय क्षति प्रार्थी के पक्ष में बनना प्रतीत नहीं होते है। प्रार्थी/वादी प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम--1955 बाबत अस्थाई व्यादेश भली--भांति साबित नहीं होने से अस्वीकार/खारिज किया जाता हैं। पत्रावली इस कदर फैसल शुमार होकर नम्बर से कम होकर मूलवाद के साथ संलग्न हो।<br><br>उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)<br>श्रीकरणपुर (श्रीगंगानगर) | |

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) श्रीकरणपुर (श्री गंगानगर)